

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्वाचन व्यय लेखे के रजिस्टर क्रमांक में

पृष्ठ संख्या ९१ से ३११ तक है।

क्र.सं.	विवरण	पेज क्रमांक	
		से	तक
1	अनुलग्नक-ड 1-भाग-क : दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रजिस्टर	05	106
2	अनुलग्नक-ड 1-भाग-ख : दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रोकड़ रजिस्टर	107	172
3	अनुलग्नक-ड 1-भाग-ग : दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए बैंक रजिस्टर	173	239
4	अनुसूचियां - 1 से 11	240	298
5	अनुलग्नक-ड 2 : निर्वाचन व्ययों का सार विवरण - भाग I से IV	299	302
6	अनुलग्नक-घ 1 : जनसभाओं/रैलियों इत्यादि पर व्यय का ब्यौरा	303	310
7	पावती प्रपत्र	311	-

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

रिटर्निंग ऑफिसर का नाम सुरेश कुमार उमास

..... २ (अ) १६ (१६३) निर्वाचन क्षेत्र

तिथि 25/10/2024

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन

अभ्यर्थी का नाम: रमेश

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो: बकवास I.P.J.P

निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया: रामगढ़

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम

1. व्यय/घटना की तारीख	2. व्यय की प्रकृति			3. कुल राशि रु. में (भुगतान किया गया+बकाया)	4. आदाता का नाम और पता
	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर		
25-10-24	नॉमिनेशन	—	10000		
26-10-24	—	—	—		
27-10-24	—	—	—		
28-10-24	—	—	—		
29-10-24	—	—	—		
30-10-24	—	—	—		
31-10-24	—	—	—		
01-11-24	—	—	—		
02-11-24	—	—	—		
03-11-24	—	—	—		
04-11-24	—	—	—		

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन

अभ्यर्थी का नाम: रमेश
 राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो: IPIA
 निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया: राजगढ़

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम

1. व्यय/घटना की तारीख	2. व्यय की प्रकृति			3. कुल राशि रु. में (भुगतान किया गया+बकाया)	4. आदाता का नाम और पता
	विवरण	मात्रा <u>₹</u>	प्रति यूनिट <u>₹</u>		
05-11-24	—	—	—		
06-11-24	—	—	—		
07-11-24	—	—	—		
			<u>10,000</u>		
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">Impacted by 7/11/24.</p> <p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">[Signature] 7/11/24.</p>					

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेंट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77